रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 224
No. 2] DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937 [N.C.T.D. No. 224

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2015

एफ.17 (85)/इंजीनियरिंग/डीईआरसी/2013–14.—सी.एफ नंबर 4074/4903 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्गों में 57, 86 और विद्युत अधिनियम के 181 के साथ पठित, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा दिल्ली में संशोधन के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन के मानकों विनियम, 2007, '(जो मुख्य विनियम' के रूप प्रस्तुत किया गया है)' विनियम बनाता है के मानकों के रूप में संशोधन निम्नानुसार है :–

1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन के मानकों (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में लाया जाएगा।

2.0 : मुख्य विनियम 16 के विनियम में संशोधन

'विद्युतीकृत कालोनियों/क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन' पर मुख्य विनियम के विनियम 16 अर्थात् निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

16. विद्युतीकृत कालोनियों/क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन

लाइसेंस धारक आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए कनेक्शन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर कार्यवाही करेगा :

(1) सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना

1. आवेदक, नए कनेक्शन के लिए आवेदन इन विनियमों के उपबंध 1 में विहित या आयोग द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित फार्म में करेगा । आवेदक भी लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन नए कनेक्शन के लिए मांग कर सकते हैं। यदि आवेदक मीटर स्वयं उपलब्ध कराना चाहता है तो इस सम्बन्ध में आवेदन करते समय लाइसेंस धारक को स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित करेगा।

2. लाइसेंस धारक, आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करेगा और आवेदन पत्र में पाई गई किसी कमी की सूचना आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के भीतर लिखित में देगा । इन कमियों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र में पाई गई किसी कमी के सम्बन्ध में आवेदक को अनुमोदित दो दिन के भीतर सूचित नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र ऊपर (1) के रूप में प्रस्तुत करने की तारीख पर लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार किया गया है, समझा जाएगा।

(2) क्षेत्र निरीक्षण

(1) लाइसेंस धारक आवेदक या इस के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्वीकार किए जाने के तीन दिन के भीतर उनके परिसर का निरीक्षण करेगा। यदि निरीक्षण पर लाइसेंस धारक को पता चलता है कि :

(क) आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत है, या

(ख) स्थान दोषपूर्ण है, या

(ग) ऊर्जित करना अधिनियम/विद्युत नियम/टैरिफ आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में होगा ।

तो लाइसेंस धारक लोड (भार) मंजूर नहीं करेगा और आवेदक को लिखित में इसके कारणों से सूचित करेगा।

(3) लोड स्वीकृति और मांग पत्र

(1) अन्यथा अधिनियम में बचाव या प्रदाय करने के लिए या इन विनियमों में उपबंधित के सिवाय, लाइसेंस धारक लोड स्वीकृत करेगा और ऐसे कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिभूति जमा सहित लागू प्रभारों का अलग–अलग आकलन देते हुए इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में आवेदक को समुचित रसीद के विरुद्ध मांग पत्र तैयार करेगा ।

(2) लाइसेंस धारक ऊपर (2) के रूप में क्षेत्र के निरीक्षण के चार दिन के भीतर डिमांड नोट जारी करेगा। एक लाइसेंस धारक आवेदक के अनुरोध पर सभी वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन करते समय भुगतान एकत्र कर सकते हैं।

(3) एक बार मांग पत्र दिए जाने के बाद लाइसेंसधारी कनेक्शन ऊर्जित करने के लिए मांग के भुगतान के अनुसार इस खंड (चतुर्थ) के उप खंड के अधीन रहते हुए बाध्य होगा।

(4) आवेदक को मांग पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर भुगतान करना होगा।

यह कि इस मामले में यदि आवेदक को 3 दिनों के भीतर भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वह लाइसेंस धारक से समय विस्तार के लिए लिखित अनुरोध करेगा। इस प्रकार विस्तारित समय को लाइसेंस धारक द्वारा कनेक्शन ऊर्जित करने में लिए गए समय की गणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा और उक्त अवधि के लिए अधिनियम की धारा 43 के अधीन कनेक्शन में विलम्ब के लिए संदेय प्रतिकर नहीं लिया जाएगा ।

(4) कनेक्शन को ऊर्जित करना

(1) लाइसेंस धारक, यदि कनेक्शन विद्यमान तंत्र से प्रदान किया जाना है तो भुगतार प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर कनेक्शन को, अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित एक सही मीटर के माध्यम से ऊर्जित करेगा ।

(2) केवल पूर्ण भुगतान किए जाने पर ही लाइसेंस धारक कनेक्शन को ऊर्जित करने के लिए बाध्य होगा किन्तु कुल समय अवधि अधिनियम की धारा 43 में अनुबंधित के अनुसार होगी या समय–समय पर यथासंशोधित।

(3) यदि लाइसेंस धारक उपरोक्त उप–धारा (1) से उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को कनेक्शन देने में असफल रहता है तो वह समुचित प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से सुने जाने के पश्चात इन विनियमों की अनुसूची 3 के अनुसार, आवेदक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा । यह प्रतिकर आवेदक के प्रथम बिल में और यदि यदि आवश्यक हो तो पश्चातवर्ती बिलों में समायोजित किया जाएगा ।

(4) तथापि, लाइसेंस धारक, कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा यदि वह पथ अधिकार, भूमि अधिग्रहण, सड़क काटने के लिए अनुमति में विलम्ब, जैसे कारणों से हो, जिन पर लाइसेंस धारक का नियंत्रण नहीं है परंतु यह तब जब कि विलंब के लिए कारण लाइसेंस धारक द्वारा आवेदन को ऊर्जित करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसूचित कर दिए गए हों।

(5) लाइसेंस धारी प्रथम बिल, कनेक्शन ऊर्जित करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर जारी करेगा। यदि उपभोक्ता को प्रथम बिल कनेक्शन ऊर्जित किए जाने की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो लाइसेंस धारक के संबंधित जिला कार्यालय के कारबार प्रबन्धक को इसकी लिखित शिकायत करेगा और लाइसेंस धारक अगले 14 दिन में बिल जारी करेगा। किसी भी स्थिति में, यदि कनेक्शन ऊर्जित किए जाने के चार बिलिंग चक्रों में बिल जारी नहीं किया जाता है तो लाइसेंस धारक विनियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिकार का भुगतान करेगा।

(5) सुरक्षा जमा पर ब्याज

(1) प्रतिभूति निक्षेप की राशि विनियम 29 के अनुसार या आयोग द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित राशि होगी । अधिसूचना की तारीख के पश्चात नए कनेक्शन के सम्बन्ध में, लाइसेंस धारक उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर निपेक्ष की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से या आयोग द्वारा विहित किसी अन्य दर से ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर करेगा या अन्य मामलों में इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के लिए बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।

3.0 प्रमुख विनियम के विनियम 30 में संशोधन :

मुख्य विनियम के विनियम 30 अर्थात्, नीचे प्रतिस्थापित किया गए 'सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी) शुल्क' के रूप में तालिका 4 निम्न हैं :–

तालिका 4

सेवा लाइन सह विकास शुल्क

क्र.सं.	मंजूर लोड	राशि (रू.)
1	5 किलोवाट तक	3000
2.	5 से अधिक 10 कि.वाट तक	7000
3.	10 से अधिक 20 कि.वाट तक	11000
4.	20 से अधिक 50 कि.वाट तक	16000
5.	50 से अधिक 100 कि.वाट तक	31000
6.	100 से अधिक 200 कि.वाट/215 कि.वाट तक	रू. 310/केवीए
7.	100 कि.वाट से अधिक (11 केवी तक)	एचटी केबल्स/लाइनों/स्विचगियर की 50% लागत

जयश्री रघुरमन, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2015

F.17(85)/Engg/DERC/2013-14 C.F.No.4074/4903.—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Electricity Act 2003, read with sections 57, 86 and 181 of the Electricity Act, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the "Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007" (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), as follows:

1.0 Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment of Regulation 16 of Principal Regulations:

The Regulation 16 of the Principal Regulations on 'Electricity Connection in Electrified Colonies/ Areas' shall be substituted by the following, namely:

16. Electricity Connection in Electrified Colonies/Areas

The licensee shall process any application for new connection submitted along with other necessary documents within the time frame as given below:

(1) **Submission of application along with all documents**

(i) The Applicant shall make requisition for new connection in the form prescribed in ANNEXE-I to these Regulations or as approved by the Commission from time to time. The applicant can also make requisition for new connection online on the website of Licensee. If the Applicant wishes to provide the meter himself, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.

(ii) The Licensee shall issue dated receipt to the applicant and any deficiencies in the application shall be intimated in writing within 2 days of receipt of application. The application shall be considered to be accepted only on removal of such deficiencies. In case consumer has not been intimated within stipulated 2 days about any deficiencies in his application, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee on the date of submission of the application as at (i) above.

(2) **Field Inspection**

(i) The Licensee shall inspect the Premises in the presence of the applicant or his representative within 3 days from the date of acceptance of the application. If upon inspection, the Licensee finds that;

(a) any information as furnished in the application is false, or

(b) the installation is defective, or

(c) the energisation would be in violation of any provision of the Act/Electricity Rules/Tariff Order.

The Licensee shall not sanction the load and shall intimate the applicant the reasons thereof in writing.

(3) **Load Sanction and Demand Note**

(i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the load and raise a demand note in accordance with the provisions of these Regulations under proper receipt to the applicant, giving breakup of the estimate of applicable charges including security deposit for providing such connection.

(ii) The Licensee shall issue the demand note within 4 days of field inspection as in (2) above. A Licensee may at the request of the Applicant collect payment at the time of making the application which shall be received on account and subject to completion of all commercial formalities.

(iii) Once a demand note is raised, the Licensee shall be under obligation to energise the connection subject to the condition of payment of demand as per sub clause (iv) of this clause.

(iv) The applicant shall make the payment within 3 days of receipt of demand note.

Provided that in case the applicant faces difficulty in making the payment within 3 days, he shall request the Licensee, in writing, for an extension of time. The time thus extended shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee and no compensation for delay in connection under section 43 of the Act, shall be payable for the said period.

(4) **Energisation of Connection**

(i) The Licensee shall energise the connection within 5 days from the date of receipt of the payment, through a correct meter as notified by the Authority under section 55 of the Act, if such connection is to be provided from the existing network.

(ii) The Licensee's obligation to energize the connection shall arise only after receipt of the full payment but the total time period shall be as stipulated in Section 43 of the Act or as amended from time to time.

(iii) In case the Licensee fails to provide connection to an applicant within a period specified in sub-section (1) to (4) above, he shall be liable to pay the applicant, compensation as per Schedule III of these Regulations after necessary hearing by the appropriate authority. Such compensation shall be adjusted in the first bill and, if required, in subsequent bills of the applicant.

(iv) The Licensee shall, however, not be held responsible for delay in providing the connection, if the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting, over which Licensee has no control provided that the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation.

(v) The Licensee shall issue the first bill within two billing cycles of energising the connection. In case, the consumer does not receive the first bill within two billing cycles from the date of energizing of the connection, he shall complain, in writing, to the Licensee and the Licensee shall issue the bill within next fourteen days. In, any case, if a bill is not raised within four billing cycles from the date of energizing the connection, the Licensee shall pay compensation as specified in Schedule III of the Regulations.

(5) **Interest on Security Deposit**

(i) The amount of security deposit shall be as per the Regulation 29 or as approved by the Commission from time to time. The Licensee shall pay interest to the consumer at the rate of 6% per annum, or any other rate prescribed by the Commission payable annually on such deposit w.e.f. date of such deposit in cases of new connection energized after the date of this notification or in other cases, from the date of notification of these regulations. The interest accrued during the year shall be adjusted in the bill for the first billing cycle of the ensuing financial year.

3.0 **Amendment of Regulation 30 of Principal Regulations:**

The Table 4 of Regulation 30 of the Principal Regulations on 'Service line cum development (SLD) Charges' shall be substituted by the following, namely:

Table 4

Service Line cum Development Charge

S.No.	Sanctioned Load	Amount (Rs.)
1	Upto 5 kW	3000
2.	More than 5kW upto 10kW	7000
3.	More than 10kW upto 20kW	11000
4.	More than 20kW upto 50kW	16000
5.	More than 50kW upto 100kW	31000
6.	More than 100kW upto 200kW/215kVA	Rs.310/kVA
7.	More than 100kW (at 11kV)	50% of the cost of HT Cables/lines/switchgear

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.

1364 DG/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.